राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 39 / 2022

ग्राम पंचायत हरड़िया पंचायत समिति खेतड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....वादी

ब–ना–म

भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.....प्रतिवादी

दावा– घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0 टीनेन्सी एक्ट

:: निर्णय :: दिनांक 01–08–2022

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम ढाणी ढीमा ग्राम पंचायत हरड़िया तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. ग्राम की सामलाती उपयोग की भूमि है जो प्रतिवादी राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। उक्त भूमि को सहवन से मकबुजा नम्बरदारान दर्ज किया हुआ है व उक्त भूमि पर कोई लगान कायम नहीं है व केवल गांव के नम्बरदारान की देख रेख के लिए व गांव के उपयोग के लिए यह भूमि ठिकाना खेतड़ी के समय से ही रखी हुई है। ठिकाना खेतड़ी सन् 1954 के लगभग रिज्युम हो गया व उसके समस्त अधिकार राज्य सरकार को निहित हो गये। राजस्थान में ग्राम पंचायत का गठन होने पर जो भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी वह ग्राम पंचायत में निहित हो गई। ग्राम पंचायत ही उक्त भूमि की देखभाल करती है व ग्राम के सार्वजनिक उपयोग के लिए यह भूमि ग्राम पंचायत इस भूमि का अपनी देख रेख में उपयोग करती है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से इस भूमि को मकबुजा नम्बरदारान दर्ज किया हुआ है जबकि ठिकाना खेतड़ी के रिज्युम होते ही नम्बरदारान के अधिकार समाप्त हो गय व वे समस्त अधिकार स्टेच्युटरी (वैधानिक) रूप से ग्राम पंचायत हरड़िया को प्राप्त हो गये मगर राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अभी भी मकबुजा नम्बरदारान दर्ज है जो नितान्त अवैध है। ऐसी परिस्थितियों में वादी ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वो उक्त विवादित भूमि अपने हक में दर्ज करवाये जिसके लिए यह वाद घोषणात्मक पेश है। वादी एक वैधानिक संस्था है जो समस्त कार्य ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के द्वारा ही पुरीत करती है जिसके लिए दिनांक 21.01.2022 को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 2 पारीत कर लिया है व उक्त प्रस्ताव की पुष्टि दिनांक 21.01.2022 को कर दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:44 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ढाणी ढीमा ग्राम पंचायत हरड़िया तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. ग्राम पंचायत के हक में दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे। वर्तमान इन्द्राज मकबुजा नम्बरदारान हटाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार, खेतड़ी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

राजस्व / 2022 / 1941 दिनांक 23.03.2022 से प्रकरण में जवाब व वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है :–

1. पटवार मण्डल हरड़िया के राजस्व ग्राम ढाणी ढीमा के भूमि ख.नं. 180 रकबा 8.80 है. किस्म बंजड़–2 मकबूजा नम्बरदारान के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
2. राजस्व ग्राम ढाणी ढीमा में खाता संख्या 25 कुल किता 26 कुल रकबा 21.79 है. भूमि मकबूजा नम्बरदारान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
3. भूमि ख.नं. 180 रकबा 8.80 है. किस्म बंजड़–2 मौके पर खाली है जिसमें ग्राम के आवारा पशु चरते हैं।
4. उक्त भूमि ख.नं. 180 में मौके पर एक श्मशान एवं एक तिबारा बना हुआ है।
5. वादी द्वारा उक्त भूमि ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के खाते में बताई गयी है जो की सत्य नहीं है।
6. ग्राम पंचायत द्वारा सहवन से उक्त भूमि का मकबूजा नम्बरदारान के नाम दर्ज होना बताया है। जबकि यह भूमि ठिकाना खेतड़ी के समय से ही मकबूजा नम्बरदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है।
7. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि की देख रेख करना बताया है जबकि मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर कोई तारबन्दी या कोई मेड़ नहीं लगाई गई है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 25 (प्रदर्श–1) ग्राम ढाणी ढीमा, नकल आंशिक नक्शा ट्रेस (प्रदर्श–2), नकल ग्राम पंचायत हरड़िया का प्रस्ताव सं. 02 (प्रदर्श–3 व 4) पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र रणजीत सिंह पंच ग्राम पंचायत हरड़िया (पी.डब्ल्यू.–1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्ता ने वाद वर्णित तथ्यों को दोराहते हुए ग्राम ढाणी ढीमा ग्राम पंचातय हरड़िया तहसील खेतड़ी में स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. को ग्राम पंचायत के हक में दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाकर वर्तमान इन्द्राज मकबुजा नम्बरदारान हटाया जाने निवेदन किया है। तहसीलदार, खेतड़ी ने रिपोर्ट में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम ढाणी ढीमा भूमि ख.नं. 180 रकबा 8.80 है. किस्म बंजड़–2 मकबूजा नम्बरदारान के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा सहवन से उक्त भूमि का मकबूजा नम्बरदारान के नाम दर्ज होना बताया है। जबकि यह भूमि ठिकाना खेतड़ी के समय से ही मकबूजा नम्बरदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि की देख–रेख करना बताया है जबकि मौके पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि पर कोई तारबन्दी या कोई मेड़ नहीं लगाई गई है। अतः वाद खारिज योग्य है।

जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता सं. 25 ग्राम ढाणी ढीमा (राजस्व अभिलेख) के अनुसार आराजी की प्रकृति मकबुजा नम्बरदारान खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. किस्म बंजड़–2 है। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट दिनांक 23–03–2022 के अनुसार खसरा नंबर 180 पर किसी का कब्जा नहीं है तदनुसार [illegible] किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। परन्तु भविष्य में अतिक्रमण होने की [illegible] में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण राजस्व अधिकारियों द्वारा बेदखली [illegible] है। खाता संख्या 25 में वर्णित भूमि "मकबुजा नम्बरदारान" के रूप में दर्ज [illegible] है। उक्त इन्द्राज का तात्पर्य स्पष्ट है कि उक्त भूमियां सार्वजनिक उपयोग की है जो समस्त ग्राम वासियान के उपयोग के लिये हैं। इस आराजी की स्थिति सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत होने से धारा 16 (VI) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान संरक्षित है। खाता सं. 25 में वर्णित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

पंजाब राज्य प्रकरण में पारित निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमियों पर बेदखली कार्यवाही विधिक है। शामलात भूमि (common land) अतिक्रमण की बेदखली के लिए योजना हेतु राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर दिनांक 11–09–2017 से समस्त जिला कलक्टर राजस्थान को विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 उनवान जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28–01–2011 में निर्देशित किया गया कि :–

"...... All the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of ilegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/ Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional case e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका (पी. आई.एल) सं. 8045/2014 में पारित आदेश दिनांक 7–11–2016 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 उनवानी जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना की क्रियान्विति हेतु आदेशित किया गया है कि "the State Government will come out with the policy within a period of four months from today"। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2011 में प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को प्रभावीरूप से लागू करने के लिए अवैध/अनाधिकृत कब्जाधारियों को ऐसी भूमि से बेदखल करने के लिए एक व्यापक योजना बनाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन स्वरूप वादग्रस्त शामलात भूमि खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. किस्म गैरमुमकिन जोड़–2 मकबुजा नम्बरदारान की खातेदारी से हटाकर राजकीय खाते में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम ढाणी ढीमा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 25 के हाल खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. भूमि "मकबुजा नम्बरदारान" से हटाकर राजकीय खाता सं. 1 में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:44 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

सीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

ग्राम पंचायत हरड़िया पंचायत समिति खेतड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

भूमि धारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

बाबत **घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

मा नम्बर :– **39 / 2022**

य दिनांक :– **01–08–2022**

वादी की ओर से **श्री अजीत सिंह तंवर एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से ..... की स्थिति में इस वाद में आज तारीख **01–08–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः ग्राम ढाणी ढीमा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता ग्रा 25 के हाल खसरा नंबर 180 रकबा 8.80 है. भूमि "मकबुजा नम्बरदारान" से हटाकर कीय खाता सं. 1 में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व र्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतड़ी को श दिया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01–08–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:06:44 IST
Reason: SelfAttested